रजिस्टर सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1981 (ज्येष्ठ 30, 1903)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1981 (JYAISTHA 30, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	433
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	805
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	801
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क-अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3-क—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) (के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ) (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	7507
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	345
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1429
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	121
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	433
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	805
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	801
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3-A.—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7507
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	345
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1429
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	121
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1981

सं० 6/2/81-सी० एस०-I—सा० का० नि० भारत सरकार के गृह मंत्रालय का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के नियम 13 के उपनियम (9) के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, सचिवालय सेवा, सहायक श्रेणी (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :

1—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक श्रेणी (प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2—केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक श्रेणी (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965 में, विनियम 9 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

परन्तु इस विनियम के अधीन कोई शास्ति—

(i) अभ्यार्थी को लिखित रूप से ऐसा व्यपदेशन करने का, जो वह उस निमित्त करना चाहे, अवसर दिए बिना, और

(ii) उस व्यपदेशन पर, यदि अभ्यार्थी से कोई व्यपदेशन उसे अनुज्ञात अवधि के भीतर प्रस्तुत किया हो, विचार किए बिना, अधिरोपित नहीं की जाएगी ।"

एन० एस० शंकरन, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1981

संकल्प

विषय : दूरसंचार प्रणाली में सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन ।

दूरसंचार सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर पिछले कुछ दिनों से सरकार का ध्यान बराबर बना हुआ है । सेवा में सुधार के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ भी किए जा चुके हैं । फिर भी यह अनुभव किया गया कि दूरसंचार सेवा की कार्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जाए । अतः प्रधान मंत्री की अनुमति से संचार मंत्री ने एक समिति के गठन का निर्णय लिया है जिसमें नीचे लिखे सदस्य होंगे :—

1.	श्री एच० सी० सरीन	अध्यक्ष
2.	श्री एस० एम० अग्रवाल	सदस्य
3.	डा० पी० पी० गुप्त	सदस्य
4.	डा० रथी मथाई	सदस्य
5.	श्री मनमोहन सिंह	सदस्य
6.	श्री एस० सी० स्वामीनाथन्	सदस्य
7.	श्री सी० पी० वासुदेवन	सदस्य
8.	श्री एम० एम० किनि	सदस्य सचिव

2. यह समिति दूरसंचार सेवा की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगी और नीचे लिखे मामलों में अपनी सिफारिशें देगी :

(क) दूरसंचार प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रचालनीय, तकनीकी और प्रबन्धकीय उपाय । ये उपाय एक निश्चित समय-सीमा में थोड़े समय और लम्बी अवधि के लिए होंगे ।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यालय के गठन सहित अन्य आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन ।

3. यह समिति तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । यदि समिति चाहे तो तीन महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले भी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है ।

4. यह तय किया गया है कि इस समिति के अध्यक्ष का दर्जा संघ की मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के समतुल्य होगा और पूरे समय के लिए नियुक्त होंगे । समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर का होगा और उनकी नियुक्ति अंशकाली होगी ।

सुबोध कुमार घोष, सचिव

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० थामस कोरा,
अवर सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मई 1981

संकल्प

सं० 15/1/80-सा० नि० : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० सी० 15/3/71, दिनांक 4-6-1971 के, जिसके द्वारा तट कटाव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, पैरा 2 में क्रम संख्या 8 के बाद निम्नलिखित को बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए :

9. डा० एस० वासुदेव,
निदेशक,
तकनीकी शिक्षा,
त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य ।

पैरा 2 में वर्तमान क्रम संख्या 9 को बदल कर क्रम सं० 10 कर दिया जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, योजना आयोग और नौवहन तथा परिवहन, रक्षा, शिक्षा, वित्त (व्यय विभाग) गृह, रेल, निर्माण और आवास मंत्रालय को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम सूचना के लिए राज्यों के राज्यपत्रों में प्रकाशित कर दें।

इन्दर प्रकाश कपिला, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1981

आदेश

विषय—गामा (ए० एन०-2) संरचना के 130.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम/अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/1/81—उत्पादन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून जिसको इसके बाद आयोग कहा जाएगा) के गामा (ए०-एन० 2) संरचना के 103.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 31-12-80 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रीक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को भी की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रु० की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु० और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत लाए गए समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भू वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे। (ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत गामा (ए० एन० 2) संरचना का अपतटीय क्षेत्र आता है तथा यह अक्षांश 13 4.16 दक्षिण से 13 18.86 उत्तर तक और देशांतर 92.24.5 पश्चिम से 92 28.85 पूर्व के बीच का है। और मानचित्र में कोने के बिन्दुओं ए० बी० सी० और डी० को मिलाती हुई रेखा द्वारा चिन्हित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 103.97 वर्ग किलोमीटर है।

यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उसके बिन्दु जिन अक्षांशों और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

नेयरिंग

अक्षांश			देशांतर	
	डि०	मि०	डि०	मी०
1 बिन्दु ए है	13	18.86	92	26.70
2 बिन्दु बी है	13	18.51	92	28.85
3 बिन्दु सी है	13	4.16	92	26.59
4 बिन्दु डी है	13	4.49	92	24.5

भूमि पर स्थित तीन प्रमुख स्थानों से दूरी निम्नलिखित है :

मासा बन्दर	57.15 किलो मीटर
गफरशोह से	41.1 किलो मीटर
हुकसन से	49.42 किलो मीटर

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग हैड कंडेंसेंड तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण।

गामा (ए० एन०-2) संरचना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्रफल 103.97 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क. अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर, प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेन्ट

प्राप्त किए गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरो की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए किलो लीटरो की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरो की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरो की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरो की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ———— सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तः करण से सत्यनिष्ठापूर्वक से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————

भारत के राष्ट्रपति के आदेशों से तथा उनके नाम में है।

टी० एन० परमेश्वरन, अवर सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1981

संकल्प

सं० एफ०-7-2(11)/80-डैस्क-1 (भाषा)—हिन्दी शिक्षा समिति का पुनर्गठन पिछली बार इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 7-4/77-डेस्क 1 (भाषा) दिनांक 22 मार्च, 1978 द्वारा किया गया था। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 31-12-1980 को समाप्त हो जाने पर समिति का एतद्द्वारा निम्न प्रकार से आगे पुनर्गठन किया जाता है:

गठन

1. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री — अध्यक्ष
2. शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष
3. लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित चार सदस्य
   - (i) श्री आर० एस० मणे — सदस्य
   - (ii) श्री आर० एन० राकेश
   - (iii) श्री जय नारायण रोत
   - (iv) श्री प्रभु नारायण टंडन
4. राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित दो सदस्य
   - (1) श्री सुधाकर पांडेय — सदस्य
   - (2) श्री सत्यपाल मलिक
5. शिक्षा सचिव — सदस्य
6. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार पदेन सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य
7. शिक्षा विभाग में भाषाओं के प्रभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार — सदस्य
8. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली — सदस्य
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा — सदस्य
10. अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि — सदस्य
11. निम्नलिखित स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का एक-एक प्रतिनिधि
    - (i) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली।
    - (ii) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास।
    - (iii) हिन्दी साहित्यिक सम्मेलन, इलाहाबाद।
    - (iv) महाराष्ट्र, राष्ट्रभाषा सभा, पुणे-30।
    - (v) असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गोहाटी।
    - (vi) हिन्दी शिक्षक संघ डैगरपाडा, कटक, उड़ीसा।
12. तीन प्रमुख हिन्दी विद्वान — सदस्य
    - (i) डा० डी० एस० द्विवेदी, भाषा-विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
    - (ii) डा० एन० रामन नायर, हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन।
    - (iii) डा० जय कृष्ण 71, सिविल लाइन्स, रुड़की
13. भाषा विज्ञान के दो विशेषज्ञ — सदस्य

(13) डा० अशोक केलकर, निदेशक, भाषा-विज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र डक्कन कालेज, पूना।

(2) डा० विद्या निवास मिश्र,
निदेशक,
के० एम० हिन्दी भाषा विज्ञान,
संस्थान, आगरा —सदस्य

14. शिक्षा विभाग में हिन्दी के प्रभारी
निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा
सलाहकार —सदस्य सचिव

स्थाई रूप से आमंत्रित

(1) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
नई दिल्ली ।

(2) निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान,
आगरा ।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

2. कार्य काल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 31 दिसम्बर, 1983 तक होगा, बशर्ते कि :

(1) धारा 3 तथा 4 के अन्तर्गत नामित सदस्य, संसद का सदस्य न रहने पर, समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वह उस पद पर कार्य करते रहें जिसके आधार पर उन्हें समिति की सदस्यता दी गई है

(3) अन्य मनोनीत सदस्य भारत सरकार की इच्छानुसार ही अपने पदों पर कार्य करेंगे ।

(4) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य समिति की शेष अवधि तक कार्य करेगा ।

3. गणपूर्ति (कोरम)

समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा ।

4. कार्य

समिति, देश में हिन्दी के प्रचार और प्रसार की नीति सम्बन्धी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगी ।

5. कार्यकारिणी उप समिति

अपने विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए समिति एक कार्यकारिणी उप समिति नियुक्त कर सकती है । साधारणतः इस उप समिति में 15 सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे । समिति के उपाध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । उप समिति के अध्यक्ष को समिति के सदस्यों में अथवा बाहर से ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा जो देश में हिन्दी के प्रचार और प्रसार की समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष जानकारी तथा अनुभव रखते हों ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी अहिन्दी भाषी राज्यों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

के० के० खुल्लर
निदेशक (भाषाएं)

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1981

संकल्प

सं० एन० 13012/1/78 पी० एस०—इस समय देश में बगलौर, चण्डीगढ़, हावड़ा, दिल्ली, वाराणसी, वल्लभ विद्यानगर, श्रीनगर, जोधपुर, और त्रिवेन्द्रम में 9 ग्रामीण आवास विंग हैं । भारत सरकार कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के और अधिक ग्रामीण आवास विंग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है । यह निर्णय किया गया कि शिमला में तत्काल एक ग्रामीण आवास विंग की स्थापना की जाए ।

2. यह ग्रामीण आवास विंग राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन कार्य करेगा जो कि उन्हें अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देगा ।

ग्रामीण आवास विंग के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) अनुसंधान और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग तथा निर्माण तकनीकियों और ग्रामीण मकानों के डिजाइनों को प्रोत्साहन देना ।

(2) सुधरी हुई सामग्रियों और तकनीकियों का प्रचार करना ।

(3) चयनित ग्रामों में पर्यावरणीय सुधारों सहित प्रदर्शनी मकानों के समूहों का निर्माण करना ।

(4) ग्रामीण आवास परियोजना योजनाओं में योजना तथा परियोजना आरम्भ करने में लगे तकनीकी कार्मिक को प्रशिक्षित और अनुकूल बनाना ।

(5) ग्रामीण आवास से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि को आरम्भ करना जिसका कि समय-समय पर निर्णय किया जाए ।

(6) ग्रामीण आवास विंग, शिमला, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड शिमला में स्थापित किया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, (25 अतिरिक्त प्रतियां) ।

2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली ।

3. सचिव, व मुख्य इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला-2 ।

4 मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।

एल० एम० मेनेजीज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 1st May 1981

No. G.S.R. 6/2/81-CS.I—In pursuance of sub-rule (9) of rule 13 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Government of India in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Competitive Examination) Regulations, 1965, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Competitive Examination) Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Competitive Examination) Regulations, 1965, after regulation 9, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that no penalty under this regulation shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate, within a period allowed to him, into consideration."

N. S. SANKARAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 27th May 1981

RESOLUTION

Subject:—Setting up of a Committee to recommend measures to improve telecommunications system.

No. A. 42011/3/81-C&P—The need for improvement in telecommunication services has been receiving the constant attention of the Government for quite some time. A variety of measures have been initiated to improve the services. It is, however, felt that there is need for a comprehensive review of the functioning of telecommunication services. Therefore, the Minister of Communications has, with the approval of the Prime Minister, decided to constitute a Committee which shall consist of :—

1.	Shri H.C. Sarin	Chairman
2.	Shri S.M. Agarwal	Member
3.	Dr. P.P. Gupta	Member
4.	Shri Ravi Mathai	Member
5.	Dr. Manmohan Singh	Member
6.	Shri C.S. Swaminathan	Member
7.	Shri C.P. Vasudevan	Member
8.	Shri M.M. Kini	Member-Secretary

2. The Committee shall study the functioning of the telecommunications services and make recommendations regarding:—

(a) measures which need to be taken to improve the efficiency of the telecommunications system, operational technological and managerial, in both the long and short terms and in a time-bound frame;

(b) organisational changes, including those in the headquarters set-up, necessary to achieve (a) above.

3. The Committee shall submit its report within three months. However, the Committee can submit interim reports, if any, before the end of its term of three months.

4. It has been decided that the Chairman of the Committee will have the status of a Minister of State of the Union Council of Ministers and he will function on full-time basis. Other non-official Members of the Committee will have the status of Secretary to the Government of India and will function on a part-time basis.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. GHOSE, Secretary.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 16th April 1981

RESOLUTION

No. 15/1/80-FC—In para 2 of Ministry of Irrigation and Power Resolution No. FC-15(3)/71 dated 4-6-71, reconstituting the Beach Erosion Board, the following may be included as Member of the Board after S. No. 8:—

Dr. S. Vasudev,
Director of Technical Education,
Trivandrum, Kerala State.

The existing S. No. 9, in para 2, may be renumbered as S. No. 10.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the concerned States/u.t.s, the private Secretary and Military Secretary to the President, Prime Minister Office, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission and the Ministries of Shipping and Transport, Defence, Education, Finance (Department of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works and Housing for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments concerned may be requested to publish it in the State Gazette for general information.

I. P. KAPILA, Joint Secretary.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 26th May 1981

ORDER

Subject:—Grant of Petroleum Exploration Licence for Gamma (AN-2) Structure area measuring 103·97 sq. kms.

No. 12012/1/81-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four year from 31-12-80 in Gamma (AN-2) Structure (offshore) area measuring 103·97, sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below

(i) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(ii) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(iii) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

( ) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Gamma (AN-2) structure offshore area and lies between latitudes 13° 4·16′ South to 13° 18·86′ North and longitude 92° 24 5′. West to 92° 28·85′ East and is delineated on the map by the line joining the corner points ABC and D and measures 103·97 Sq. Kms. area.

The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distances between them are as follows:—

	Bearing			
	Latitudes		Longitudes	
	Deg.	Min.	Deg.	Min.
1. Point A is at	13	18·86	92	26·70
2. Point B is at	13	18·51	92	28·85
3. Point C is at	13	4·16	92	26·59
4. Point D is at	13	4·49	92	24.5

Approximate distance from three prominent places on land are as follows:—

Mayabunder . . . . . 57·15 Kms.

Mephersoh Bay . . . . . 41·31 Kms.

Hudson Bay . . . . . 49·42 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for Gamma (AN-2) Structure

Area : measuring 103·97 Sq. Kms.

Month and Year

A. CRUDE OIL

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1	2	3	4	5

B—CASING HEAD CONDENSATE

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1	2	3	4	5

C—NATURAL GAS

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of cubic metres obtained less columns 2&3	REMARKS
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

T. N. PARAMESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 21st May 1981

RESOLUTION

No. F. 7-2 (ii)/80. DI (L)—The Hindi Shiksha Samiti was last reconstituted by this Ministry's Resolution No. F. 7-4/77 D. I (L) dated 22nd March 1978. The tenure of the re-constituted Samiti having expired on 31-12-1980, the Samiti is hereby further reconstituted as follows:—

Composition:

1. Minister of Education & Culture — Chairman
2. Minister of State for Education & Culture . . . Vice Chairman
3. Four Members of the Lok Sabha nominated by the Speaker
   (i) Shri R.S. Mane
   (ii) Shri R.N. Rakesh
   (iii) Shri Jai Narayan Roat
   (iv) Shri Prabhunarain Tandon — Members
4. Two Members of the Rajya Sabha nominated by the Chairman
   (i) Shri Sudhakar Pandey . .
   (ii) Shri Satya Pal Malik — Members
5. Education Secretary . . . . Member
6. Hindi Adviser to the Government of India Ex-officio Secretary, Deptt. of Official Language. . . . Member
7. Joint Secretary/Joint Educational Adviser in Charge of Languages in the Department of Education — Member
8. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi — Member
9. Chairman, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra — Member
10. One representative each nominated by the Governments of non-Hindi speaking States . . . . Member
11. One representative each from the following Voluntary Hindi Organisations:
    (i) Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi
    (ii) Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.
    (iii) Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.
    (iv) Maharashtra Rashtrabhasha Sabha, Poona 30.
    (v) Assom Rashtrabhasha Prachar Samiti, Gauhati.
    (vi) Hindi Shikshak Sangh, Degarapara, Cuttack, Orissa.
12. Three prominent Hindi Scholars : Members
    (i) Dr. D.S. Dwivedi, Deptt. of Linguistics, Kurukshetra University, Kurushetra.
    (ii) Dr. N. Raman Nair, Deptt. of Hindi, University of Cochin.
    (iii) Dr. Jai Krishan, 61, Civil Lines, Roorkee.
13. Two Linguistic experts: . . Member
    (i) Ashok Kelkar, Director Center of Advanced Studies in Linguistics, Deccan Colleges, Poona.

    Dr. Vidya Niwas Misra, Director, K.M. Institute of Hindi and Linguistics, Agra.
14. Director/Deputy Secretary/Deputy Educational Adviser in Charge of Hindi in the Department of Education . . . . . Member-Secretary

Permanent Invitees :

(i) Director, Central Hindi Directorate, New Delhi.

(ii) Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

The Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Samiti in the absence of the Chairman.

II. Tenure :

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be upto the 31st December 1983 provided that:

(i) A member nominated under Clauses 3 & 4 shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament;

(ii) The Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(iii) Other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India;

(iv) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of the Samiti.

III. Quorum :

The quorum for the meetings of the Samiti shall be 1/3 of total membership of the Samiti.

IV. Functions:

The Samiti shall advise the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Hindi in the country

V. Karya Karini Up Samiti :

In order to enable the Samiti to discharge its various functions effectively it may appoint a Karyakarini Upasamiti. The Upasamiti shall ordinarily consist of not more than 15 members to be nominated by the Chairman. The Vice-Chairman of the Samiti shall function as the Chairman of the Upasamiti. The Chairman of the Upasamiti shall have the power to co-opt persons either from amongst the member of the Samiti or from outside who possess specialist knowledge and experience of the problems of propagation and development of Hindi in the country.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Non-Hindi speaking States, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. K. KHULLAR, Deputy Secretary (Languages)

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 13th May, 1981

RESOLUTION

No. N-13012/1/78-PS.—At present there are nine Rural Housing Wings in the country situated at Bangalore, Chandigarh, Howrah, Delhi, Varanasi, Vallabh Vidyanagar, Srinagar, Jodhpur and Trivandrum. The Govt. of India have been considering for some time the question of setting up more such rural housing wings in different parts of the country. It has been decided to establish, with immediate effect a rural Housing Wing at Simla.

2. The Rural Housing Wing will function under the control and direction of the National Buildings Organisation who will provide them financial assistance in the form of grants-in-aid.

The functions of the Rural Housing Wing will be:—

(i) To promote research and use of local building materials and construction techniques and designing of village houses.

(ii) To propogate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct clusters of demonsration houses alongwith environmental improvements in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the village housing project schemes.

(v) To carry out any other activity connected with rural housing as may be decided from time to time.

3. The Rural Housing Wing, Simla, will be situated in Himachal Pradesh Housing Board, Simla.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to :—

1. Director NBO (25 spare copies)
2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.
3. Secretary-cum-Chief Engineer, Himachal Pradesh Housing Board, Simla-2
4. Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh Simla.

L. M. MENEZES, Joint Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981